



राजस्थान-सरकार निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर

द्वितीय तल, ब्लाक 6, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

☎: 0141-2704357 ☎: 0141-2704358 email : dir-sans-rj@nic.in



क्रमांक :- निसंशि/संस्था-4(क,ख,ग,घ,ङ)/पं.स्थाना./2022/39155-172

दिनांक 14.01.2023


--: आदेश :-

निम्नलिखित अध्यापकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं :-

| क्र. सं. | नाम | पदनाम | विषय | वर्तमान पदस्थापन | स्थानान्तरित स्थान | T.A./D.A. Applicable |
|----------|------------------|------------|---------|--|--|----------------------|
| 1 | विजेन्द्र पारीक | लेवल प्रथम | संस्कृत | राप्रसंवि शिवदानसिंह की ढाणी, बाडमेर | राउप्रासंवि चेचावाला, विराटनगर, जयपुर | No |
| 2 | संगीता कुमारी | लेवल प्रथम | संस्कृत | राप्रवेसंवि, मण्डावा, झुंझुनू से स्थानान्तरणाधीन राप्रासंवि कालू लूणकरणसर, बीकानेर | राप्रवेसंवि, मण्डावा, झुंझुनू | No |
| 3 | राजकुमारी | लेवल प्रथम | सामान्य | राउप्रासंवि नरसीनगर, तारानगर, चूरु | राप्रवेसंवि मलसीसर, झुंझुनू में सत्येन्द्र कुमार के स्थान पर | No |
| 4 | सत्येन्द्र कुमार | लेवल प्रथम | सामान्य | राप्रवेसंवि मलसीसर, झुंझुनू | राउप्रासंवि नरसीनगर, तारानगर, चूरु में राजकुमारी के स्थान पर | Yes |

उक्त स्थानान्तरण आदेशों की पालना निम्नांकित शर्तों के अनुसार की जानी सुनिश्चित करावें :-

- राजस्थान स्वैच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम, 2010 के तहत पदस्थापित कार्मिकों को पदस्थापन नियमों के अनुसार नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी क्षेत्र के पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- TSP क्षेत्र से NTSP क्षेत्र में स्थानान्तरण होने पर कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- यदि स्थानान्तरित स्थान पर कार्यरत कार्मिक विधवा/परित्यक्ता/दृष्टिहीन/दोनों पैरों से दिव्यांग/गम्भीर बीमारी (कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, गुर्दा प्रत्यारोपण) से ग्रसित हो तो उक्त कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त/माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिक/लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिक/वर्तमान में अध्ययन अवकाश पर चल रहे कार्मिक/निलम्बित कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- संस्था में एकल कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं किया जावे।
- स्थानान्तरित कार्मिक को शालादर्पण के माध्यम से ही कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।


(डॉ. भास्कर शर्मा)
निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- निसंशि/संस्था-4(क,ख,ग,घ,ङ)/पं.स्थाना./2022/39155-172

दिनांक 14.01.2023

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- संबंधित संभागीय संस्कृत शिक्षाधिकारी, संस्कृत शिक्षा राजस्थान।
- वेबसाईट प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- शाला दर्पण प्रभारी, निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित संकुल प्रभारी/संस्था प्रधान।
- संबंधित कार्मिक।
- रक्षित पत्रावली।

निदेशक

संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर